







शक्ति वंदन अभियान: आधी आबादी को उपेक्षित कर नहीं हो सकता विकास-मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ



**संवाददाता-गोरखपुर।** मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यदि एक महिला आत्मनिर्भर होती है तो समाज स्वतः सशक्त होता है। जिस समाज में महिला सशक्त होती है, उस समाज को आम्र बरकत से कोई भी रोक सकता है। वर्ष 2047 में जब देश आजादी का 100वां वर्ष पूरा होगा तो हमें एक विकसित भारत मिलेगा जिसमें देश की आधी आबादी अपना विकास करेगी। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार प्रयत्न कर प्रयास करेगी ताकि उनकी सुख्खा, सम्मान व स्वावलम्बन का कार्य सुनिश्चित रहे। सीएम योगी गुवराव को योगीराज बाबा गंगोपान्ध प्रसादह ने नारी शक्ति वंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरजीएम) से जुड़ी लामार्थी महिलाओं से संवाद और 3617 स्वयं सहायता समूहों को 54 करोड़ 25 लाख रुपये का अंशकालिक ऋण भी वितरित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि आधी आबादी को विकसित करके ही सरकार विकास की नई उन्चाईयों को प्राप्त कर पायेगी। सरकार सभी महिलाओं को आश्रय करती है कि उनको हितों के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करेगी। शासन की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य पूरी जिम्मेदारी के साथ करेगी। पीएम मोदी के नारी सम्मान व सुख्खा के विजन के अनुसार गोरखपुर के सभी महिला स्वयं सहायता समूहों एवं एनजीओ, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के वहात

लाख 5 हजार से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं। जनपद में 63563 महिलाएं निराश्रित पेंशन, 54062 महिलाएं वृद्धा पेंशन तथा 6094 महिलाएं दिव्यांगजन पेंशन योजना में लाभान्वित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 2 लाख 91 हजार महिलाओं को निःशुल्क गैस का कनेक्शन प्राप्त हुआ है। 56 स्वयं सहायता समूह सार्वजनिक दुकानों का संभालन कर रही हैं जिसमें 438 महिलाएं जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि पहले महिलाओं को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था किन्तु आज स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से वे सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा रही हैं। उच्च इंजन की सरकार ने उनके ल्थान के लिए कई कार्यक्रम प्रारम्भ किये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कच्चा सुमंगला योजना के तहत बेटों के जन्म से स्नातक तक की पढाई के लिए आर्थिक सहायता दे रही है। इस योजना के अन्तर्गत अग्रल माह



**रामलक्ष्मी के दरबार में नतमस्तक हुई गोवा कैबिनेट**  
राज्य सरकार के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ को की पूरी कैबिनेट रामलक्ष्मी के दरबार में पहुंची और दर्शन-पूजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने साधु आरंभ 51 मी 54 सदस्यों के समूहों के चरणों में माथा टेका। बृहस्पतिवार दोपहर को सभी अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरे तो परंपरागत अंदाज में उनका भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर प्रवेश सरकार के नवीं सतीश शर्मा, अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और महोपारि महंत निराश्रित निचवाडी व जिला पंचायत अध्यक्ष देवी सिंह ने सभी का स्वागत किया।

अदालती नोटिस सम्मन वास्ते करारवाय उम्रू तनकीह तलब

**अदालती नोटिस**  
सम्मन वास्ते करारवाय उम्रू तनकीह तलब (आर्डर 5 कायदा 1 व 5) न्यायालय-श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद बस्ती जिला-बस्ती मूलवाद सं0 12/2023 श्रीमती शोभा देवी वनाम श्रीमती सोना देवी 1. श्रीमती शोभा देवी पत्नी नानोन्द्रनाथ साकिन मोजा कूडा पदटी पृथी तथा कूडा परगना नगर पूर्व तहसील व जिला बस्ती **तारीख पेशी 20-03-2024** हरहाह ने आपके नाम नलिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपको हुजम होता है कि आप बतारीख 20 माह 03 सन 2024 ई0 बरवत 10 बजे दिन असलालन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिक किया गया हो और जो कूल उम्रू अहम मुतलिका मुकदमा जबाब दे संके या जिसके साथ कोई और संख्य हो जो कि जबाब एसे स्वागत का दे संके हाजिर हो और जबाबदेही दायी कीजिये और हरहाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकदमें है वास्ते इन्फोसाल कलार्ड मुकदमा के तजवीज हुई है और आपको लामिज है कि उसी रोज जुमला दरतावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हो पेश करें। आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बरि हरजिये आपके मसमूआ और फैसला होगा। बसखल मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया। 20 हाकिम

अदालती नोटिस सम्मन वास्ते करारवाय उम्रू तनकीह तलब

**अदालती नोटिस**  
सम्मन वास्ते करारवाय उम्रू तनकीह तलब (आर्डर 5 कायदा 1 व 5) न्यायालय-श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद बस्ती जिला-बस्ती मूलवाद सं0 605/2022 राजमणि वनाम रंजय आदि 1. रंजय प्रसाद सिंह उम्र लगभग 62 वर्ष पुत्र ज्वाल प्रसाद सिंह साकिन हाहा मुकाम मरवधिया बाबू तथा दुबखला परगना नगर पूर्व तहसील व जिला-बस्ती 2. कर्पिदेव उम्र लगभग 67 वर्ष पुत्र छोटेदाल साकिन पारखडू तथा कपरी महोपारी मूलवादी परिषम तहसील व जिला बस्ती **तारीख पेशी 21-03-2024** हरहाह ने आपके नाम के दायर की है। लिहाजा आपको हुजम होता है कि आप बतारीख 21 माह 03 सन 2024 ई0 बरवत 10 बजे दिन असलालन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिक किया गया हो और जो कूल उम्रू अहम मुतलिका मुकदमा जबाब दे संके या जिसके साथ कोई और संख्य हो जो कि जबाब एसे स्वागत का दे संके हाजिर हो और जबाबदेही दायी कीजिये और हरहाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकदमें है वास्ते इन्फोसाल कलार्ड मुकदमा के तजवीज हुई है और आपको लामिज है कि उसी रोज जुमला दरतावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हो पेश करें। आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बरि हरजिये आपके मसमूआ और फैसला होगा। बसखल मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया। 20 हाकिम

जनता दर्शन में सीएम योगी ने लोगों की सुनी समस्याएं

संवाददाता-गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार के वरते कोई भी शकियों को उजाह नहीं पाएगा। किसी ने ऐसा बुरासा किया तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। शकियों को जमाने से बचाते गुवराव को अभी पकाने मकाम नहीं मिल पाया है, उन्हें प्रान्तमंत्री आवास योजना वा मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत लकके आवास को सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सीएम योगी ने 8 बजे गुवराव को गोरखनगर मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनते हुए कहा। इस बात पर अलक करने को लेकर उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित भी किया। मंदिर परिसर स्थित महि दिव्यांगजन्य सुविधा मंदिर के सामने आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री कुर्तिये पर बैठएएएए लामों तक सुकृद पहुंचे। रावकी समस्याओं को सुनते हुए आवरत किया हर सम्मन का समयादू, पारवरीश व सतुधिरकण मिलसार किया जाएगा। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने करीब 500 लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत दी कि किसी की जमाने पर अर्थ कजा करने वाले, कमाजियों को उजाहने वाले किसी भी सूतमें बरखे न जायें।

कार्यालय उपनिदेशक (निर्माण) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उ0प्र0

**राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उ0प्र0 नवीन मण्डी स्थल- बस्ती**  
पत्रांक: निर्माण/निविदा/बस्ती/2023-600 दिनांक: 15.02.2024

**:- अति0 अलपकालीन ई-निविदा सूचना :-**

निम्न कार्यों की निविदा पत्रांक- 10.01.2024 एवं पत्रांक 675 दिनांक 8.02.2024 के माध्यम से मण्डी परिषद एवं सरकारी विभागों/कायदाधीन निकायों में पंजीकृत (लोननिविदा, आरवर्ड-डी0, यू0बीआरएनएन0, यू0बीओसीएलएन0) में पंजीकृत एवं विधिवत रूप से सुदृढ अभिलिखित एवं अनुसूची केकरार/कर्म से अलग-अलग तकनीकी एवं वित्तीय बिड ई-टेंडरिंग के माध्यम से दिनांक 06.02.2024 को ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की गयी थी परन्तु निविदा में किसी भी फर्म/टेकदार द्वारा प्रतिभाग न किये जाने के कारण समन्वित निविदा पत्र ई-टेंडरिंग के माध्यम से आमंत्रण निविदा वेबसाइट <https://ctender.up.nic.in> पर दिनांक 22.02.2024 को अपरान्ह 12.00 बजे तक उपलब्ध रहेकर अपलोड की जा सकती है। जो उरती दिना निविदादाता, टेकदारों अथवा उनके प्रतिनिधियों (विधि उपस्थित हुए) के समक्ष दिनांक 22.02.2024 को अपरान्ह 12:30 बजे अक्षोभसिंह कायालय में ऑनलाइन खोली जायेगी। निविदा की तकनीकी बिड उपरकृत पाये जाने पर वित्तीय बिड खोली जायेगी।

क्र0	मण्डी स्थिति का नाम	कार्य की काय का नाम	कार्य की लागत (लाख रु0 में)	धरोहर धाराशिश (लाख रु0 में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य + कर (लाख रु0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा की वैधता	निविदा की श्रेणी	मण्डी परिषद में पंजीकृत टेकदारों की श्रेण जो निविदा में प्रतिभाग कर सकते है
1	3	4	5	6	7	8	9	10	9
30	शोहरत गड	न0सं0मार्ग खुनवा शोहरतगड मूल्य मार्ग से रमवापुर तिवायी गौव तक। 2023_RKUMP_872743_4	46.75	4.35	8300.00	04	90	"स"	अ, ब, स,
31	शोहरत गड	न0सं0 मार्ग सेहूपी से पलिया सिखावा तक। 2023_RKUMP_872744_4	39.68	4.00	7100.00	03	90	"द"	अ, ब, स, द

- नोट:-**
- धरोहर धराशिश का मूल्य उपनिदेशक (निर्माण) के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा साहायघाट बस्ती के खाता संख्या 3039448895 आईएफएसकोड को संख्या SBIN0011200 एवं निविदा का मूल्य खाता संख्या 30394488415 आईएफएसकोड को संख्या SBIN0011200 उप निदेशक (निर्माण) के नाम अलग-अलग आर0टी0जी0एर0 करना होगा, जिसका बैंक से सत्यापित यू0टी0आर0 नम्बर हाई कार्पी में उपलब्ध करना होगा, एवं अपलोड भी करना अनिवार्य होगा।
  - निविदादाता द्वारा अपलोड किये गये प्रपत्रों में से यदि कोई भी प्रपत्र कर्ता पाया जाता है तो उसे निविदादाता द्वारा मण्डी परिषद के खाते में जमा जमानत धराशिश को मण्डी परिषद के खाते में जम्मे करके हुए निम्ननुसार कार्याही की जायेगी।
  - मण्डी परिषद न्यायालय के आदेश पत्रांक 30आपि0मि0अं0-2/(1168 )/माम-4/2005 /2022-641 दिनांक 11.08.2022 एवं पत्रांक 217 दिनांक 29.05.2023 एवं परिषद पत्रांक 487 दिनांक 11.07.2023 के अधीन 'अ' एवं 'ब' श्रेणी में मण्डी परिषद के अतिरिक्त अन्य सरकारी विभागों/कार्यदाताओं संस्थाओं (लोननिविदा, आरवर्ड-डी0, यू0बीआरएनएनएन0, यू0बीओसीएलएन0) में पंजीकृत फर्म/टेकदार निशानिर्तित निर्माण के अनुसूच ही प्रतिभाग कर सकते। पी0ड0रू0डी0, आरवर्ड-डी0, यू0बीआरएनएनएन0 व यू0बीओसीएलएन0 विभाग में 'अ' श्रेणी में पंजीकृत फर्म/टेकदार 'अ' व 'ब' श्रेणी के कार्य में तथा 'ब' श्रेणी में पंजीकृत फर्म 'ब' श्रेणी के कार्य की निविदा में प्रतिभाग कर सकते हैं। अन्य श्रेणी के कार्य में प्रतिभाग करने पर निविदा प्रपत्र दृष्या निरस्त कर दी जायेगी।
  - अन्य सरकारी विभागों में पंजीकृत टेकदारों की निविदा प्रथम न्यूनतम आती है तो उन्हें मण्डी परिषद में पंजीकरण करना होगा तथा अनुसूच पत्र के समय 10 प्रतिशत अतिरिक्त धरोहर धराशिश जमा करनी होगी।
  - विस्तृत निमन व शर्तें ऑनलाइन निविदा वेबसाइट <https://ctender.up.nic.in> पर उपलब्ध है।

उप निदेशक (निर्माण)

गुमशुदगी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है हम प्रार्थी शशि प्रताप सिंह पुत्र संत बहादुर सिंह, ग्राम व पोस्ट-बेलहरा, जनपद बस्ती का निवासी हूँ और सिंह ट्रेडर्स (TIN No. 091189092455) ग्राम व पो- बेलहरा, जनपद-बस्ती का प्रोपराइटर हूँ। हम प्रार्थी द्वारा वाणिज्य कर विभाग, बस्ती से वित्तीय वर्ष 2016-17 में तमिनानाडु से माल मंगाने हेतु दो प्रति फार्म-38 जारी करवाया जिसमें एक फार्म पर हम प्रार्थी द्वारा माल मंगवाया गया और दूसरा फार्म सं0 EE2420468, हमारे पास सुरक्षित था। दिनांक 08.11.2023 को वाणिज्य कर विभाग, बस्ती में जमा करने हेतु ले जा रहा था जो फार्म 38 सं0 EE2420468 कहीं रास्ते में गुम हो गया है। यदि किसी को प्राप्त हो तो निम्न पते पर सूचना देकर सहयोग करें।

**(शशि प्रताप सिंह)**  
प्रोपराइटर सिंह ट्रेडर्स  
ग्राम व पोस्ट-बेलहरा, जनपद-बस्ती  
मो0नं0-9889160449  
दिनांक: 16.12.2023

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार फर्मस, सोसाइटीज एवं चिट्स गोरखपुर मण्डल गोरखपुर।

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री अकबर अली पुत्र श्री हविगुल्लाह, अय्यख/सदर की हैसियत से संस्था मद्रास व मस्जिद अशरफिया अहले सुन्नत तालीमुल कुदान, ग्राम व पो-परसा खुर्द जुनुगुर दरियापुर जंगल टोला तुलसीपुर, तहसील- भानुपुर बाबू जनपद बस्ती के पंजीकरण हेतु निधं अतिरिक्त शुल्क व प्रपत्र प्रस्तुत किये गये है। प्राप्त अभिलेख के अनुसार सर्व श्री 1. श्री अकबर अली-अय्यख/सदर 2. श्री हरमत अली-उपाध्यक्ष/ना0 सदर 3. श्री मोहम्मद इस्लाम-प्रबं0क/नाजिम 4. श्री जमाल अहमद- उपपबंधक/ ना0 नाजिम 5. श्री जाना मोहम्मद-कोषाध्यक्ष/ खजांची 6. श्री अय्युल्लाह-सदस्य 7. श्री गुलाम नूरुल-सदस्य दर्शाये गये। अतः यदि किसी व्यक्ति को उक्त संस्था के पंजीकरण पर आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा और गुण-दोष के आधार पर संस्था के पंजीकरण सम्बन्धी कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जायेगी। विदित हो कि उक्त नोटिस सोरंजिण्ट 1860 की धारा 3(1) के अन्तर्गत जारी किया जा रहा है।

**आज्ञा से (बी0 के0 सिंंह)**  
सहायक रजिस्ट्रार गोरखपुर मण्डल गोरखपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि लोकरू प्रसाद पुत्र झिक्राई निवासी वार्ड नं0 2 शक्ति नगर महा जंगल नगर पंचायत बमनान तथा अतराह परगना बस्ती परिषम तहसील हरिया जिला बस्ती पिछले 26 साल से लापता है इनके बारे में कोई सूचना प्राप्त हो तो इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। जनधवा प्रसाद पुत्र झिक्राई वार्ड संख्या 26 शक्ति नगर महा जंगल तथा अतराह परगना बस्ती परिषम पोस्ट बमनान तहसील हरिया जिला बस्ती।

**अदालती नोटिस**  
सम्मन वास्ते करारवाय उम्रू तनकीह तलब (आर्डर 5 कायदा 1 व 5) न्यायालय-श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) बस्ती जिला-बस्ती प्रकीर्णवाद सं0 68/2023 मूलवाद सं0 663/11 जगदीश वनाम कृष्ण कुमर चौरसिया कृष्ण कुमर चौरसिया उम्र लगभग 67 वर्ष पुत्र राम नरयान निवासी मोहल्ला ग्राम पिंकोर दत्तगुर तथा हवेली परगना बस्ती पूर्व तहसील व जिला-बस्ती **तारीख पेशी 20-03-2024** हरहाह ने आपके नाम नलिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपको हुजम होता है कि आप बतारीख 20 माह 03 सन 2024 ई0 बरवत 10 बजे दिन असलालन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिक किया गया हो और जो कूल उम्रू अहम मुतलिका मुकदमा जबाब दे संके या जिसके साथ कोई और संख्य हो जो कि जबाब एसे स्वागत का दे संके हाजिर हो और जबाबदेही दायी कीजिये और हरहाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकदमें है वास्ते इन्फोसाल कलार्ड मुकदमा के तजवीज हुई है और आपको लामिज है कि उसी रोज जुमला दरतावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हो पेश करें। आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बरि हरजिये आपके मसमूआ और फैसला होगा। बसखल मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया। 20 हाकिम

**दैनिक भारतीय बस्ती**  
रवतभांडिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा प्रकाशित प्रिंटिंग प्रेस फि0. नया हला 1-4 आ लोथिया कामपलेस जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) स० मुद्रित एवं प्रकाशित।  
प्रबन्धक सम्पादक-दिनेश सिंह प्रबन्धक सम्पादक-प्रदीप चन्द्र पाण्डेय अयोध्या-फैजाबाद काला-चतुर्दशी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या-फैजाबाद लक्ष्मण कार्यालय-आधिया चौहाह, एलडीए कॉलोनी, सेक्टर एच, कानपुर सेड लखनऊ।  
**गोरखपुर कार्यालय-** इलाहीनगर गोरखपुर। मो09450567450 9336715406. [ibhartiyabasti@yahoo.com](mailto:ibhartiyabasti@yahoo.com) [ibhartiyabasti@gmail.com](mailto:ibhartiyabasti@gmail.com)